न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 1849

दिनांक 23/08/22

प्रार्थी :-

1.आम्बूदेवी पत्नि हमीरदान
जाति चारण, निवासी गांधीनगर
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1.राजी पत्नि इशाक 2.मजीद 3.सरीफ पि.इशाक
4.शकूर पुत्र इदा, जाति मुसलमान, निवासी
गांधीनगर 5.मीरमोहमदशाह पुत्र उम्मेदअलीशाह
6.विलायतशाह पुत्र अलीअकबरशाह
जाति मुसलमान, निवासी आलमसर 7.कैलाशदान
पुत्र महेशदान 8.महेशदान पुत्र बींजराजदान,
जाति चारण, निवासी आलमसर, तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 08/2022

दिनांक : 23.08.2022

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र आलमसर के मौजा गांधीनगर के खेत खसरा सं. 873/477 रकबा क्रमशः 24.10 भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे |

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2022/ 1850 to 1853

दिनांक 23/08/22

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थी आम्बूदेवी
3. विप्रार्थीगण राजी वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/सेड़वा/धनाऊ

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.09.21 12:33:23 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ राम)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन